

खान आयुक्त का न्यायालय, बिहार

अपील वाद संख्या-05/2026

जिला-पटना

रंजन इंजीकॉन प्रा0 लि0

...

वादकर्ता

बनाम

समाहर्ता, पटना एवं अन्य

...

प्रतिपक्ष

आदेश

31.08.2026

1. वाद की पृष्ठभूमि :-

यह अपील वाद रंजन इंजीकॉन प्रा0 लि0 द्वारा समाहर्ता, पटना. के आदेश ज्ञापांक-105/एम0, दिनांक-08.01.2026 के विरुद्ध लाया गया है, जिसके माध्यम से पटना सोन बालूघाट कलस्टर संख्या-02 के लिए रंजन इंजीकॉन प्रा0 लि0 के प्रत्यर्पण संबंधी आवेदन को खारिज किया गया है एवं जमा अग्रधन/प्रतिभूति राशि 5,72,94,675/- को जप्त किया गया है।

2. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्य निम्न प्रकार है :-

(i) उनके द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-50 के आलोक में छः माह का नोटिस दिनांक-10.06.2025 को बालूघाट में मात्रा खत्म होने के कगार पर एवं निम्न स्तर के होने का उल्लेख करते हुए कारोबार छोड़ने के लिए समाहर्ता, पटना के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया था।

(ii) अपीलकर्ता ने समाहर्ता, पटना द्वारा पारित आदेश को तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार किये बिना बताते हुए अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

3. खनिज विकास पदाधिकारी, पटना द्वारा समर्पित किया गया है कि निष्पादित एकरारनामा की अध्याय-III की कंडिका-10 (i) निविदा दस्तावेज की कंडिका-31 एवं बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-50 (4) के तहत ही प्रत्यर्पण संबंधी आवेदन अस्वीकृत किया गया है एवं राशि जप्त की गयी है।

4. अपीलकर्ता को सुना एवं उपस्थापित अभिलेखों का परिशीलन किया। अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित एकरारनामा के अध्याय-III कंडिका-10(i) निम्नवत है:-

"It will be necessary to deposit the entire settlement amount of that related year by the Settlee before exit from the settlement period; In case of surrender of settlement, the entire security amount along

with the other amount paid by the Settlee will be forfeited and at the same time the storage license (K- License) issued in favor of the settlee will also cancelled itself."

निविदा दस्तावेज की कंडिका-31(i) निम्नवत है:-

"बन्दोबस्तधारी को बन्दोबस्ती छोड़ने के पूर्व उस पंचांग वर्ष की सम्पूर्ण बन्दोबस्ती राशि जमा करनी होगी। बन्दोबस्ती प्रत्यार्पित करने की स्थिति में जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि के साथ-साथ भुगतान की गई अन्य राशि को जप्त कर ली जायेगी। साथ ही बन्दोबस्तधारी के रूप में निर्गत भण्डारण अनुज्ञप्ति भी स्वतः रद्द समझी जाएगी।"

5. अपीलकर्ता ने अपने प्रत्यर्पण आवेदन में बालूघाट में बालू की मात्रा खत्म होने एवं उपलब्ध बालू को निम्न स्तर का बताते हुए बंदोबस्ती छोड़ने का उल्लेख किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में अनुमत खनन योग्य मात्रा का 99.40 प्रतिशत उपयोग किया गया है, जिससे बालूघाट पर क्रय करने हेतु आने वाले वाहनों की संख्या कम होने का दावा करते हुए नुकसान की बात तथ्य से परे है। खनिज विकास पदाधिकारी, पटना द्वारा सूचित किया गया है कि वर्ष 2023 एवं 2024-2025 में CMPDIL से सोन नदी का पुनर्भरण अध्ययन कराया गया है एवं प्रतिवेदन में पुनर्भरण का वार्षिक औसत क्रमशः 112 प्रतिशत एवं 123.74 प्रतिशत प्रतिवेदित है। स्पष्ट है कि बालूघाट में पर्याप्त पुनर्भरण हो रहा है।
6. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक-10.06.2025 को बालूघाट प्रत्यर्पण का आवेदन/नोटिस समर्पित किया गया। बालूघाट प्रत्यर्पण का विकल्प बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) 2019 के नियम-50 से नियंत्रित होता है, जिसके उप नियम-4 में स्पष्ट अंकित है कि "धोखाधड़ी या खनन अथवा पर्यावरणीय शर्तों के उल्लंघन या प्रतिवेदित की गई किसी अन्य अनियमितताओं की स्थिति में, कारोबार छोड़ने का कोई विकल्प खनिज समानुदान धारक को उपलब्ध नहीं रहेगा और उनकी प्रतिभूति जप्त हो जाएगी।"
7. यह जानना आवश्यक है कि अपीलकर्ता द्वारा कोई धोखाधड़ी/उल्लंघन/अनियमितता की गयी थी कि नहीं। दिनांक-14.06.2025 एवं दिनांक-15.06.2025 को पटना सोन बालूघाट कलस्टर संख्या-02 की विभागीय समिति द्वारा जाँच के क्रम में पानी का छिड़काव नहीं करने के आलोक में अपीलार्थी पर रुपये 50,000/- का दंड अधिरोपित किया गया। इस प्रकार नियम-50(4) के तहत अपीलार्थी द्वारा अनियमितता के आलोक में नियम-50(1) के तहत अपीलार्थी समानुदान छोड़ने के विकल्प के हकदार नहीं थे।

8. हस्ताक्षरित एकरारनामा के भाग (VII) की कंडिका-37 निम्नवत है:-

"If the lessee makes default in payments of any Installments, GST, Income Tax, Stamp Duty and Registration fees on time, the Collector shall give a thirty days notice to the lessee requiring him to pay within prescribed time limit and if not paid within such period the Collector may without prejudice to any proceeding that may be taken against lessee, determine the settlement and forfeit the whole or part of the security deposit."

एकरारनामा के भाग-VII की कंडिका-1 में भी यह प्रावधान है कि भाग-V एवं भाग-VI के तहत दिये जाने वाले rent एवं royalty किस प्रकार दिये जायेंगे। परन्तु अपीलकर्ता द्वारा तृतीय बंदोबस्ती वर्ष के प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

9. उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आवेदक का दावा नियम संगत नहीं है। अतः समाहर्ता के आदेश में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-50(4) के तहत की गई कार्रवाई को यथावत रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/-

(अवनीश कुमार सिंह)
सचिव-सह-खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

ह0/-

(अवनीश कुमार सिंह)
सचिव-सह-खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-5740...../एम0, दिनांक.....01/09/26.....

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, पटना/ सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, पटना/रंजन इंजीकॉन प्रा0 लि0, निदेशक-संजय कुमार, :- पिता-किशुन चन्द्र सिंह, पता-महात्मा गांधी नगर, कांटी फैक्ट्री रोड नियर बुद्ध डेन्टल कॉलेज, पो0-कंकड़बाग, पटना, पिन-800020, मो0-8810402065, ई-मेल-rajnikant7136518@gmail.com/आई0 टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

JK
01.09.2026
विधि पदाधिकारी